दिनांक 11.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 11/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना तिलहर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 10.06.2021 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम ग्वार से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सत्यवीर उर्फ रिन्कू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुदागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्यवीर उर्फ रिन्कू निवासी ग्राम ग्वार थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर।

जनपद बलिया/थाना बांसडीह

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 11.06.2021 को थाना बांसडीह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ताहिरपुर तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बांसडीह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2021 धारा 419/420/467/468/478 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बांसडीह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राकेश निवासी सुल्तानपुर थाना बांसडीह जनपद बलिया।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना सादात

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 11.06.2021 को थाना सादात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटया चट्टी के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़, जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सादात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2020 धारा 307/147/148/149/120बी भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सादात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी सरायभादी थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना जमानिया

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.06.2021 को थाना जमानिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चक्का बाध के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामानन्द को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जमानिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 324/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जमानिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामानन्द निवासी मटियरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

जनपद बलिया/थाना सिकंदरपुर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.06.2021 को थाना सिकंदरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस स्टेशन सिकंदरपुर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त तुला शेख को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकंदरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/2021 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकंदरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—तुला शेख निवासी बसरिकापुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया।

जनपद अमेठी/थाना अमेठी

- **12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.06.2021 को थाना अमेठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अन्तू बाईपास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नाजिम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अमेठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 286/2018 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 12 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नाजिम निवासी तिलौरी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

जनपद इटावा/थाना कोतवाली

- **06 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की 05 कुन्तल 10 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 आयशर कैंटर, 01 अर्टिगा कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 10.06.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टी0टी0 तिराहे के पास से 06 मादक पदार्थ तस्करों 1—अमित

2—रविन्द्र कुमार उर्फ रवि 3—मनवीर 4—दिनेश कुमार 5—रमाकान्त 6—पवन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की 05 कुन्तल 10 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 आयशर कैंटर, 01 अर्टिगा कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमित निवासी गाडीपुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा।

2—रविन्द्र कुमार उर्फ रवि निवासी खिरारी थाना राया जनपद मथुरा।

3—मनवीर निवासी तम्बगा थाना राया जनपद मथुरा।

4—दिनेश कुमार निवासी अनौरा थाना राया जनपद मथुरा।

5—रमाकान्त निवासी सिहौरा थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

6—पवन निवासी भद्रबल थाना मांट जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की 05 कुन्तल 10 किलोग्राम अवैध गांजा।
2—01 आयशर कैंटर।
3—01 अर्टिगा कार।
4—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली नगर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 21 मोटर साइकिल**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **19 किलो डोडा आदि बरामद**

दिनांक 10.06.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरानी चुंगी के पास से चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1—काकू उर्फ सूर्यकान्त 2—विशाल उर्फ झिंगर 3—सचिन उर्फ शिवा 4—शाहरूख 5—बिट्टू उर्फ संजय को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 21 मोटर साइकिल, चोरी के सोने के आभूषण, 19 किलो डोडा आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उर्फ झिंगर शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—काकू उर्फ सूर्यकान्त निवासी अभिषेकनगर कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

2—विशाल उर्फ झिंगर निवासी इन्द्राकैम्प कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

3—सचिन उर्फ शिवा निवासी प्रकाश लोक कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

4—शाहरूख निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

5—बिट्टू उर्फ संजय निवासी इन्द्राकैम्प कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 21 मोटर साइकिल।

2—चोरी के सोने के आभूषण।

3—19 किलो डोडा आदि बरामद।

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 11.06.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार

पर घिलौआ मोड़ के पास से चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–विवेकांत उर्फ जगतराज उर्फ अल्ताफ 2–अर्जुन 3–सचिन 4–बंटू 5–गुलशन उर्फ अंकुश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल, लूट के 02 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट, आदि के आधा–आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विवेकांत उर्फ जगतराज उर्फ अल्ताफ निवासी भगीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

2–अर्जुन निवासी साहवानपुर थाना जलेसर जनपद एटा।

3–सचिन निवासी साहवानपुर थाना जलेसर जनपद एटा।

4–बंटू निवासी साहवानपुर थाना जलेसर जनपद एटा।

5–गुलशन उर्फ अंकुश निवासी हिन्दू नगर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

2–लूट के 02 मोबाइल फोन।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **डकैती की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 15 हजार रूपये नगद,**
- **लूट गया मोबाइल फोन, बैग, आभूषण, आधार कार्ड**
- **01 अवैध पिस्टल 02 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 11.06.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लक्ष्मीनगर फ्लाई ओवर के पास से चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–राजीव 2–अनिल 3–विष्णु उर्फ भोलू 4–श्याम सुन्दर 5–हरी को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 15 हजार रूपये नगद, लूट गया मोबाइल फोन, बैग, आभूषण, आधार कार्ड, 01 अवैध पिस्टल 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.06.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण, आधार कार्ड आदि उक्त डकैती की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजीव निवासी बालौर थाना सिटी बहादुरगढ़ जनपद झज्जर हरियाणा।

2–अनिल निवासी कंडोली कला थाना उदयपुर जनपद रायसैन मध्यप्रदेश।

3–विष्णु उर्फ भोलू निवासी राधेश्याम कालोनी थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

4–श्याम सुन्दर निवासी राधेश्याम कालोनी थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

5–हरी निवासी छरौरा थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूटे गये 15 हजार रूपये नगद।

2–लूट गया मोबाइल फोन, बैग, आभूषण, आधार कार्ड।

3–01 अवैध पिस्टल 02 जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 10/11.06.2021 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दिल्ली रोड पर मवीकला से आगे आवास विकास के खाली पडे क्षतिग्रस्त मकान से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–नीटू कुमार 2–रूचिन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीटू कुमार निवासी पीतपुर थाना लक्शर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

2–रूचिन कुमार निवासी हाशिमपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–20 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–02 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्कर गिरफ्तार, उनके कब्जे से लगभग 534 कि0ग्रा0 गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग एक करोड़ रूपये) बरामद।

दिनांक 11–06–2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्करों को 534 कि0ग्रा0 गांजा (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग एक करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– श्रावण सिंह पुत्र सोम सिंह नि0 राजपूत मोहल्ला, दरबारा, थाना व जिला– अलवर, राजस्थान

2– राजवीर सिंह पुत्र मदन लाल, नि0 सरसडा, थाना–गोविंदनगर, जिला– अलवर, राजस्थान

3– तिरुपति कांकनला पुत्र केशवलो, नि0 आदिलाबाद, थाना– भेमनी, जिला मंचियाल, तेलंगना

कुल बरामदगीः

1– बरामद अवैध गांजा करीब 534 कि0ग्रा0 (अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य एक करोड़ रूपये)

2– 01 अदद डीसीएम ट्रक (CG-07-C-9850)

3– रू0 5590/–नगद

4– 01 अदद DL

5– 01 अदद आधार कार्ड।

6— 04 अदद डेविट कार्ड

7— वाहन डीसीएम ट्रक के कागजात

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समय</u>

दिनाक 11—06—2021 समय—00:30 बजे रात्रि, बंधुआ तिराहा, थाना—कोतवाली कटरा, जनपद—मीरजापुर उ0प्र0

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदो में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उड़ीसा से मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी की जा रही है तथा बहराईच व आस—पास के जनपदों में इसे बेचा जा रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 सुधीर सिंह, आरक्षी रमेश चन्द्र उपाध्याय, सत्यप्रकाश वर्मा, अमित कुमार एवं मुख्य आरक्षी प्रमोद व कमाण्डो दिलीप की एक टीम गठित कर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी की एक टीम को साथ लेकर जनपद मीरजापुर के लिए रवाना की गयी।

एसटीएफ टीम द्वारा जनपद मीरजापुर पहुॅचकर जमीनी स्तर पर अभिसूचना संकलन किया जा रहा था तो ज्ञात हुआ कि उड़ीसा राज्य से डी0सी0एम0 न0 CG-07-C-9850 में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गॉजा सीमेण्ट की खाली बोरियों के बीच में छिपाकर लाया जा रहा है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 की टीमें एनसीबी को साथ लेकर बंधुआ तिराहा, थाना—कोतवाली कटरा, जनपद—मीरजापुर के पास पहुॅचकर उक्त डी0सी0एम0 का इन्तजार करने लगे। कुछ देर बाद उक्त नम्बर की डी0सी0एम0 आती हुई दिखाई दी, जिसे आवश्यक बल प्रयोगकर रोका गया एवं तलाशी ली गयी तो सीमेन्ट की खाली बोरियों के बीच में गॉजा छिपाकर रखा गया था। इस पर उक्त डी0सी0एम0 को कब्जे में ले लिया गया।

पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह लोग बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का कार्य करते है, जिनका एक संगठित गिरोह है। तस्करी के इस गिरोह का जाल उड़ीसा से उत्तर प्रदेश समेत देश के अनेकों प्रान्तों में फैला है। इस गिरोह के सदस्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजे की बड़ी खेप ले जा कर देश के

विभिन्न प्रान्तों में पहुँचाते है। आज भी गांजे की एक बड़ी खेप लेकर उड़ीसा से नानपारा बहराइच उ0प्र0 में देने के लिए आ रहे थे कि एसटीएफ टीम द्वारा पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों को के विरूद्ध एन0सी0बी0 द्वारा केस नं0 23/21 धारा 8/20/28/29 व 60(3) एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्यवाही एन0सी0बी0 द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0—अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डी0सी0एम0 कन्टेनर से 04 कुन्तल 70 किलोग्राम (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 90 लाख रूपये) बरामद।

आज दिनॉकः 11.06.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 कुन्तल 70 किलोग्राम **(अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 90 लाख रूपये)** मादक पदार्थ (गॉजा) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. कमलेश यादव पुत्र मेही लाल यादव, निवासी ग्राम चकहरबंश भटान, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।
2. कुशल सिंह पुत्र सूबेदार सिंह, निवासी ग्राम बिगहिया, थाना हण्डिया, जनपद प्रयागराज।

बरामदगी :–

1— 04 कुन्तल 70 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (गॉजा)।

2— एक अदद आयसर डी0सी0एम0 कन्टेनर नं0—RJ-18GB-9754।

3— दो अदद मोबाइल फोन।

4— एक अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।

5— 1680/— रूपये नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–

दिनांक 11.06.2021 समय 06:00 सुबह, वाराणसी—प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चकमदा—वासुपुर के बीच थाना क्षेत्र हण्डिया, जनपद प्रयागराज।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप लेकर कुछ तस्कर जनपद प्रयागराज के हण्डिया थाना क्षेत्र में आने वाले हैं। इस सूचना पर एन0सी0बी0, लखनऊ को उक्त सूचना से अवगत कराते हुए उ0नि0 श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, मु0आ0 साजित अली, प्रभन्जन पाण्डेय, आरक्षी हबीब सिद्दीकी, सुनील कुमार, पंकज तिवारी व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की एक टीम गठित की गयी एवं कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद प्रयागराज के हण्डिया थाना क्षेत्रान्तर्गत मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुॅचकर एन0सी0बी0 टीम व थाना हण्डिया, प्रयागराज की पुलिस को सहयोगार्थ साथ लेकर मुखबिर की निशादेही पर उपरोक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके द्वारा लाये जा रहे डी0सी0एम0 कन्टेनर को कब्जे में लिया गया। पकड़े गये डी0सी0एम0 कन्टेनर में बने **Special cavity** से उपरोक्त बरामदगी हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूॅछताछ पर बताया कि वह लोग बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का कार्य करते है, **जिनका एक संगठित गिरोह है एवं गिरोह के सरगना रूपम सिंह पुत्र मुन्नन सिंह, निवासी बिगहिया, थाना हण्डिया, जनपद प्रयागराज व दिनेश सिंह, निवासी ग्राम सेमराज, जंगीगंज, जनपद भदोही हैं।** तस्करी के इस गिरोह का जाल उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फैला है। इस गिरोह के सदस्य उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश से गांजे की बड़ी खेप लाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पहुॅचाते है। इस बरामद गांजे को डी0सी0एम0 ट्रक में बने **Special cavity** के अन्दर उड़ीसा प्रान्त के उमरपुर, नवरंगपुर जिले से विष्णु दादा से क्रय करके रूपम सिंह व दिनेश सिंह उपरोक्त के लिए ला रहे थे। यह अवैध गांजा उड़ीसा से कम दामों पर खरीदकर रूपम सिंह व दिनेश सिंह द्वारा प्रयागराज, भदोही, मीरजापुर, कौशाम्बी एवं आस—पास के जनपदों में थोक/फुटकर रूप में ऊँचे दामों पर बेचा जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त कुशल सिंह का सगा चाचा अभियुक्त रूपम सिंह है तथा गिरफ्तार दूसरा अभियुक्त कमलेश यादव द्वारा स्वयं को कन्टेनर का चालक होना बताया गया। इस काम के एवज में कमलेश उपरोक्त को रास्ते के सभी खर्च काटकर प्रति चक्कर 10 हजार रूपये मिलते हैं। यह गिरोह हर महीने 04 से 05 चक्कर उड़ीसा से अवैध गांजा लाकर ऐसे जंगली तथा सुनसान स्थानों पर छोटी

गाडियों, पिकअप इत्यादि में अनलोड किया जाता है, जहॉ से पुलिस की निगरानी अथवा लोगों की निगाह में न आ सके। बरामद अवैध गांजे का **अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 90 लाख रूपये** अनुमानित है।

बरामद अवैध गॉजे तथा डी0सी0एम0 को थाना हण्डिया, जनपद प्रयागराज में दाखिल कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध एन0सी0बी0 द्वारा एन0सी0बी0 यूनिट/थाना लखनऊ में मु0अ0सं0–22/2021 धारा 8 (C)/20/25/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही एन0सी0बी0 व स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।

—————————